रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052025-263482 CG-DL-E-30052025-263482

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

No. 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

आयकर

सा.का.नि. 356(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 290(अ), दिनांक 06 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित हुई, में:—

- (i) पृष्ठ संख्या 66 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति मद "ख4गक" में, कोष्ठक, आंकड़े और अक्षर "(4गक-खांvक)" के स्थान पर कोष्ठक, आंकड़े और अक्षर "(4क-खांvक)" अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) पृष्ठ संख्या 89 पर, अनुसूची 80झङ में, पंक्ति मद "कछ" के पश्चात, एक नई पंक्ति मद "कज" अंतः स्थापित की जाएगी और तदनुसार, अनुसूची 80 झङ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

3561 GI/2025 (1)

क	पूर्वोत्त	र में स्थित उपक्रम				
	कक	असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	<u>יי</u>
			कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	<u>יי</u>
	कख	अरूणचल प्रदेश	কন্ত্ৰ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	<u>"</u>
			कख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	יי <u>י</u>
		मणिपुर	कग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	<u>"</u>
			कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	v .
	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	
2			कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	"
	कङ	मेघालय	कङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	
, D			कङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	"
	कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	
7			कच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	"
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	
			কন্ত2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	יי
	कज	सिक्किम	कज1	उपक्रम संख्या. 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	<u>"</u>
			कज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30,	"
	कझ	पूर्वोत्तर में स्थित र	उपक्रमों वे	कझ		

[अधिसूचना संख्या 53/2025/फा. सं. 370142/16/2025-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th May, 2025

INCOME-TAX

G.S.R. 356(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 290(E), dated 06th May, 2025:—

- (i) at page number 154, in Schedule CG, in row item "B4ca", the brackets, figure and letters "(4ca -biva)" shall be substituted by the brackets, figure and letters "(4a-biva)".
- (ii) at page number 169, in Schedule 80IE, after row item "ag", a new row item "ah" shall be inserted and accordingly, for the Schedule 80IE, the following schedule shall be substituted, namely: —

Sch	edu	le 80-	-IE	Deducti	ons under section 8	0-IE		
	a	Ded						
DEDUCTION U/S 80-IE		aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
				aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		ab	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
				ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		ac	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
				ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		ad	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
				ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		ae	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
				ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
				af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		ag	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
				ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		ah	Sikkim	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
				ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		ai	Total deduction for un	ai				
	b		Total deduction under	b				

[Notification No. 53/2025/F. No. 370142/16/2025-TPL]

 $SURBENDU\ THAKUR,\ Under\ Secy.$